रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 218
No. 8] DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935 [N.C.T.D. No. 218

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सं.फा.10(89)/2012/ डीएसडब्ल्यू/ स्था./16051-16061. —भारत सरकार, गृह मंत्रालय, की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 24(अ) के साथ पठित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) नियमावली, 2001 को संशोधित करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) संशोधन नियमावली, 2013 कहा जाए ।
2. ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
3. **नियम 48 का संशोधन.**—दिल्ली नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभागिता) नियमावली, 2001 के नियम 48 में नियम 48 (ख) के बाद निम्न सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:—

48 (ग) उपायुक्त (नि:शक्तता) के पद पर नियुक्ति की निबंधन व शर्तें :—

(i) उसने 62 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ।

(ii) अगर वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत सेवारत है तो उसे इस पद पर नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी ।

(iii) उपायुक्त (नि:शक्तता) की नियुक्ति उसके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर होगी या उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो, इनमें से जो पहले हो । कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल के लिए उपायुक्त के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते उसकी उच्चतम आयु 65 वर्ष तक सीमित है ।

(iv) उपायुक्त (नि:शक्तता) पद रु 15,600-39100+ग्रेड पे 6600/- रुपये के वेतनमान में होगा ।

(v) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में, वेतन का निर्धारण अंतिम वेतन आहरण घटा पेंशन के फार्मूला के अनुरूप होगा ।

(vi) जो व्यक्ति वर्तमान में समरूप पद पर हैं वे खोज-सह-चयन समिति द्वारा विधिवत संस्तुत प्रतिनियुक्ति पर उपायुक्त(नि:शक्तता) पर पद भरने के लिए पात्र है।

(vii) छुट्टी:— केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों पर लागू ऐसी छुट्टी के पात्र होंगे ।

(viii) छुट्टी यात्रा रियायत:—वह प्रतिमानक के अनुसार ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र हैं ।

(ix) चिकित्सा हितलाभ:— वे ऐसी चिकित्सा हितलाभ के पात्र होंगे जो दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) के अंतर्गत अधिकारियों पर लागू है।

(x) यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता:— वे प्रतिमानक के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता के पात्र होंगे ।

(xi) खोज-सह-चयन समिति जिसके प्रधान मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार होंगे और जिसमें प्रधान सचिव (सेवा), सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), सचिव (समाज कल्याण तथा महिला बाल विकास) तथा निदेशक (समाज कल्याण) शमिल हैं, नियुक्ति हेतु उपायुक्त (नि:शक्तता) के नाम की सिफारिश माननीय उपराज्यपाल को करेगी ।

(xi) त्याग पत्र एवं निष्कासन :—(1) उपायुक्त (नि: शक्तता) राज्य सरकार को लिखित में सूचना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है । ऐसी सूचना की अवधि एक माह होगी ।

(2) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपायुक्त उपायुक्त (नि: शक्तता) के कार्यालय से निष्कासित कर सकती है, यदि वो

(क) दिवालिया हो जाता है ।

(ख) कार्यालय अवधि के दौरान कार्यालय से बाहर की ड्यूटी में लिप्त है।

(ग) किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया हो और कैद की सजा दी गई हो ।

(घ) राज्य सरकार के मत के अनुसार अधिनियम में निर्धारित दिमाग या शरीर की दुर्बलता या कार्यालय कार्यकाल के निषादन में गंभीर चूक के कारण कार्यालय में निरंतरता के लिए अयोग्य हो।

(ङ) राज्य सरकार से अनुपस्थिति की छुट्टी लिए बिना ड्यूटी से पन्द्रह दिनों या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहना; या ।

(च) राज्य सरकार के मतानुसार, उपायुक्त (नि:शक्तता) के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि नि:शक्तता के साथ व्यक्ति के हित में कार्यालय में निरंतर बने रहना अहितकर हो या,

(छ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के प्रावधान का उल्लंघन :

बशर्ते केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) नियमावली, 1965 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ए' कर्मचारी को निष्कासित करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ही इस नियम के तहत किसी व्यक्ति को निष्कासित किया जा सकता है ।

(3) राज्य सरकार उपायुक्त (नि:शक्तता) को निलंबित कर सकती है जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही के उपनियम (2) के लंबित निष्कर्ष के अनुपालन में निष्कासन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

(xii) अवशिष्ट प्रावधान:— उपायुक्त(नि: शक्तता) की सेवा शर्तें जिनके लिए इन नियमों में प्रावधनों का उल्लेख नहीं किया गया है, को राज्य सरकार के प्रत्येक मामले में निर्णय हेतु संदर्भित किया जाए और सरकार का निर्णय बाध्यकर होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

अचला सिंह, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2014

No. F. 10(89)/2012/DSW/Estt./16051-16061.— In exercise of the powers conferred by Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 24(E) dated the December, 1997, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation), Rules, 2001, namely:-

1. Short title and Commencement:— (l) These rules may be called the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Rules, 2013.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

3. Amendment of rule 48-:—In the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules 2001, in rule 48, after rule 48(B), the following shall be inserted, namely:—

48 (C) Terms and Conditions of appointment to the post of Deputy Commissioner (Disabilities):—

(i) He/She should not have attained the age of 62 years.

(ii) If he/she is in a service under the Central Government or State Government, he/she shall seek retirement from such service before his/her appointment to the post.

(iii) The Deputy Commissioner for Persons with Disabilities shall be appointed on full time basis for a period of three years from the date he/she resumes office or till he/she attains the age of 65 years, whichever is earlier. A person may serve as a Deputy Commissioner for a maximum of two terms. subject to the upper age limit of 65 years.

(iv) The post of Deputy Commissioner for Persons with Disabilities is in the scale of Rs. 15600—39100+GP-6600/-.

(v) In the case of a retired Government servant, the pay will be fixed in accordance with the formula of last pay drawn minus pension.

(vi) Persons holding existing analogous posts are eligible for filling the post of Deputy Commissioner (Disabilities) on deputation duly recommended by the Search-cum-Selection Committee.

(vii) Leave:—He/she shall be entitled to such leave as is admissible to Government servants under the Central Civil Service (leave) Rules, 1972.

(viii) Leave Travel Concession: - He/she shall be entitled to such leave travel concession as per norms.

(ix) Medical benefits:—He/she shall be entitled to such medical benefits as is admissible to the Officers under Delhi Government Employees Health Scheme (DGEHS).

(x) TA and DA :— He/she shall be entitled to travelling allowance and daily allowance on tour as per norms.

(xi) A Search-cum-Selection Committee headed by Chief Secretary, Government of NCT of Delhi and consisting of Principal Secretary (Services), Secretary (Health and Family Welfare), Secretary (Social Welfare and WCD) and Director (Social Welfare) shall recommend name of the Deputy Commissioner (Disabilities) to Hon'ble L.G. for appointment.

(xii) Resignation and Removal:—(1) The Deputy Commissioner (Disabilities) may, by notice in writing, addressed to the State Government resign from his/her post. The period of such notice shall be one month.

(2) The State Government shall remove aperson from the office of the Deputy Commissioner (Disabilities) if he/she

(a) becomes an insolvent.

(b) engages during his/her term of office in any paid employment outside the duties of his/her office.

(c) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence.

(d) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office due to reasons of infirmity of mind or body or serious default in the performance of office functions as laid down in the Act.

(e) without obtaining leave of absence from the State Government, remains and absent from duty for a consecuti ve period of fifteen days or more, or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of the Deputy Commissioner

(Disabilities) as to render his continuance in office detrimental to the interest of persons with disabilities or

(g) Violates the provision of Rule 3 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

Provided that no person shall be removed under this rule except after following the procedure, mutatis mutandis, prescribed for removal of a Group A employee of the Central Government under CCS (CCA) Rules, 1965.

(3) The State Government may suspend the Deputy Commissioner (Disabilities), in respect of whom proceedings for removal have been commenced in accordance with sub-rule(2), pending conclusion of such proceedings.

(xiii) Residuary Provision:—Conditions of service of the Deputy Commissioner(Disabilities) in respect of which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the State Government for its decision and the decision of the Government shall be binding.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi.

ACHLA SINGH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.